

IV
बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-9/उपा0/बीज/विविध अनुदान-13/2014-316 कृ0, पटना, दिनांक-15-1, 2015
प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)
से परामर्शित।

विषय : केन्द्रीय योजना 'सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल अन्तर्गत बीज ग्राम योजना खरीफ 2014-15 में 968.544 लाख (नौ करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार चार सौ) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन 285.31 लाख (दो करोड़ पचासी लाख एकतीस हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

निदेशानुसार, केन्द्रीय योजना 'सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल अन्तर्गत बीज ग्राम योजना खरीफ 2014-15 में 968.544 लाख (नौ करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार चार सौ) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन 285.31 लाख (दो करोड़ पचासी लाख एकतीस हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

योजना कार्यान्वयन से फसलों के गुणवत्ता वाले बीज किसान को प्राप्त हो सकेगा। जिसके उपयोग से फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

केन्द्रीय योजना "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" अन्तर्गत बीज ग्राम-केन्द्रीय बीज ग्राम योजना हेतु चुने गये गांव के सभी ईच्छुक किसानों को एक एकड़ में बीज उत्पादन के लिए धान के आधार/प्रमाणित स्टेज-1 बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर तथा एक एकड़ में दलहन (अरहर/उड़द) के बीज उत्पादन हेतु आधार/प्रमाणित स्टेज-1 बीज 60 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2014-15 खरीफ के लिए स्वीकृत कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रू० में)

केन्द्रीय योजना "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" अन्तर्गत बीज ग्राम योजना (खरीफ 2014)			
फसल	बीज ग्राम की संख्या	बीज की मात्रा (क्विंटल में)	बीज अनुदान राशि
धान	2731	32772	524.352
अरहर	235	1880	107.16
उड़द	95	1808	97.632
किसान प्रशिक्षण			239.40
कुल			968.544

(नौ करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार चार सौ रुपये)

योजनान्तर्गत शत प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त है। योजनान्तर्गत 571.115 लाख (पांच करोड़ एकहतर लाख ग्यारह हजार पांच सौ) रुपये बिहार राज्य बीज निगम के पास एवं 127.1874 लाख

संतोष कुमार उत्तम

(एक करोड सताइस लाख अठारह हजार सात सौ चालीस) रुपये बामेती/परियोजना निदेशक, आत्मा पास अवशेष है। 285.31 लाख (दो करोड पचासी लाख एकतीस हजार) रुपये की निकासी कोषागार से की जानी है। योजनान्तर्गत बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम द्वारा किया जायेगा। बीज के साथ राज्य योजना से जैव उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। जैव उर्वरक के लिए जैविक खेती योजना में प्रावधान किया गया है।

योजनान्तर्गत बामेती/परियोजना निदेशक, आत्मा के पास अवशेष राशि से प्रशिक्षण का संचालन परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जायेगा।

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज के विरुद्ध राशि का समायोजन/निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्नप्रकार है-

(राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि	आवश्यकता
केन्द्रीय योजनागत योजना			
"2401-फसल कृषि-कर्म उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-103- बीज मांग सं०-1 उपशीर्ष 0417- गुणवत् बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण" विपत्र कोड S2401001030417	31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	1000.00	968.544
सकल योग		1000.00	968.544

- योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन अनुदेश में प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकता है तथा योजना की आवश्यकता के हिसाब से यथावश्यक निर्णय लिया जा सकता है।
- स्वीकृत राशि 968.544 लाख (नौ करोड अड़सठ लाख चौवन हजार चार सौ) रुपये में से 285.31 लाख (दो करोड पचासी लाख एकतीस हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 103- बीज मांग संख्या-1 उपशीर्ष-0417 गुणवत् बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण विपत्र कोड S2401001030417 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में कुल उपबंधित 1000.00 लाख रुपये विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान वेतानादि के अलावा से विकलनीय होगा।
- निकासी के लिए स्वीकृत 285.31 लाख (दो करोड पचासी लाख एकतीस हजार) रुपये की निकासी राशि की मांग पर कृषि निदेशक द्वारा सामान्य विपत्र पर की जा सकेगी।
- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602, दिनांक-20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक-03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या-9/उपा०/बीज/विविध अनुदान-13/2014 के पृ०सं०- 32/टि. पर दिनांक : 02.12.2014 को प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-9/उपा०/बीज/विविध अनुदान-13/2014 के पृ०सं०-36/टि. पर दिनांक-31.12.14 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार उस्ता

(बिर्बनाथ चौधरी)
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 316

/कृ०, पटना दिनांक-15-1-2015

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(B) 14.1.15

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 316

/कृ०, पटना दिनांक-15-1-2015

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(B) 14.1.15

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 316

/कृ०, पटना दिनांक-15-1-2015

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(B) 14.1.15

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 316

/कृ०, पटना दिनांक-15-1-2015

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया/बजट/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(B) 14.1.15

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 316

/कृ०, पटना दिनांक-15-1-2015

प्रतिलिपि:- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(B) 14.1.15

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

संतोष कुमार उत्तम